।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: निविदा सूचना ::–

क्रमांक / 50 / स्वा0वि0 / न0पा0नि0 / 2017 दुर्ग, दिनांक 20/04/2017

नगर पालिक निगम, दुर्ग के स्वास्थ्य विभाग हेतु अनुबंध दिनांक से 1 वर्ष के लिए निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त वार्डो के लिये सामाग्री की आवश्यकता है । सामग्री क्रय करने हेतु अधिकृत विक्रेताओं से सील बंद लिफाफे में निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर निविदा आमंत्रित की जाती है । निविदा फार्म **www.municipalcorporationdurg.com** एवं **www.uad.cg.gov.in** से **download** किया जा सकता है । निविदाकार दिनांक 11/05/2017 को दोपहर 03:00 तक स्वास्थ्य विभाग नगर पालिक निगम, दुर्ग में जमा करना होगा एवं उसी दिन संध्या 04:00 बजे निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी । निविदा के प्रकार – सी फार्म निविदा स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीय से भेजना होगा।

क0	सामग्री का नाम	अनुमानित लागत	निर्धारित निविदा प्रपत्र की कीमत व प्राप्त समय दिनांक तथा जमा करने की तिथि	अमानत राशि का विवरण	निविदा की शर्तें व नियम प्राप्त करने का स्थान व समय
1	क्लोरिन टेबलेट, लार्वा हिट, स्प्रे पम्म	7,01,075.00 (सात लाख एक हजार पचहत्तर रूपये)	750 / – नगद जमा कर स्वास्थ्य विभाग से निविदा दिनांक से एक दिन पूर्व प्राप्त किया जा सकता है ।	21,000.00 (इक्कीस हजार रूपये)	स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग से कार्यालयीन समय व दिवस पर अवलोकन किया जा सकता है ।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0 क्रमांक / 50 / 5 / स्वा0वि0 / न0पा0नि0 / 2017 दुर्ग, दिनांक 20/04/2017

प्रतिलिपि :–

1. माननीय महापौर महोदया, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. माननीय प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
3. जनसंपर्क विभाग को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु आदेशार्थ ।
4. सूचना फलक स्वास्थ्य विभाग / मुख्य कार्यालय में जन सामान्य के अवलोकनार्थ ।
5. प्रभारी डाटा सेंटर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय स्वास्थ्य विभाग नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: नियम एवं शर्तें ::–

1. नगर निगम, दुर्ग द्वारा निर्धारित निविदा फार्म में निविदा देना होगा ।
2. निविदा की अमानत राशि 21,000.00 रूपये निविदा के साथ एफ0डी0आर0 / बैंक ड्राफ्ट जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग के नाम से देय हो जमा करना होगा ।
3. प्रदाय किये जाने वाले सामग्री का दर समस्त कर जोडकर एवं स्वास्थ्य विभाग के स्टोर भण्डार में पहुंचाकर देना होगा, अलग से कोई कर देय नही होगा ।
4. सामग्री आई0एस0आई0 मार्क होना चाहिए ।
5. सामग्री निर्धारित स्तर एवं मांग अनुरूप नही पाये जाने पर, अनुपयोगी पाये जाने पर वापसी योग्य होगा ।
6. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् तथा अनुबंध होने पर प्रदाय आदेश में निर्धारित समय सीमा पर सामग्री प्रदाय करना होगा ।
7. समय सीमा पर सामग्री प्रदाय नही करने पर प्रदाय आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा अन्य फर्मो से क्रय की कार्यवाही की जावेगी, जिस पर होने वाले अधिक व्यय स्वीकृत निविदाकार के एफ0डी0आर0 / बैंक ड्राफ्ट को राजसात कर वसूल किया जावेंगा ।
8. निविदा स्वीकृत होने पर 50 / – रूपये का स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर अनुबंध करना होगा ।
9. सशर्त निविदा स्वीकार नही किया जावेगा ।
10. विवाद की स्थिति में महापौर / आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग